लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	**दायर दिनांक**	**निर्णय दिनांक**
086/2022 **(GCMS 2022/407)**	**23.11.2022**	**14.12.2022**

अनवान

रामनिवास विजयवर्गीय पिता चम्पालाल विजयवर्गीय निवासी 760, गायत्री नगर, हिरण मगरी, सेक्टर नं. 5, जिला उदयपुर (मो.नं. 9413833548)
अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 12.09.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./086/2022(सू.अ.)(29.11.2022)/880 दिनांक 23.11.2022 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 29.11.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 29.11.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने नियत दिनांक को उपस्थित होकर जरिये प्रार्थना पत्र अपना पक्ष रखा कि उसे आदिनांक तक वांछित सूचनाऐं प्राप्त नहीं हुई हैं। अतः चाही गई सूचनाऐं उपलब्ध कराने का आदेश प्रदान करावें। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/864 दिनांक 28.11.2022 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

1. यह कि प्रार्थी श्री रामनिवास विजयवर्गीय, निवासी 760, गायत्रीनगर, हिरण मगरी, सेक्टर नंबर 5, उदयपुर (राज.) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 12.09.2022 को प्रस्तुत आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 13.09.2022 को प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना संबंधित कार्यालयों से प्राप्त कर इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/350 दिनांक 28.11.2022 से प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क प्रेषित कर दी गई हैं।
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना प्रार्थी को उक्तानुसार उपलब्ध करा दिए जाने के उपरान्त इस प्रकरण पर वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती हैं।
4. अतः उक्त संबंध में श्रीमान् को प्रस्तुत अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/864 दिनांक 28.11.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र से अतिरिक्त जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ की पत्रावली संख्या 163/72 निर्णय दिनांक 30.01.1973 जो राजस्व मण्डल अजमेर से बाद निर्णय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा पत्र संख्या 1477 दिनांक 26.04.1975 से अतिरिक्त कलक्टर चित्तौड़गढ़ को भेजी गई थी, के संबंध में सूचना चाही गयी थी। जिसके संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/350 दिनांक 28.11.2022 से प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थी को उपलब्ध करावा दी हैं। इस पर हाजिर अपीलार्थी ने अवगत कराया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से वह असंतुष्ट हैं। बार–बार मुझ अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध में गलत प्रत्युत्तर प्रेषित किया जा रहा है, जो सर्वथा अनुचित हैं।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं दिनांक 28.11.2022 एवं दिनांक 14.12.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन मनन किया। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपलब्ध कराई गई सूचना से आवेदक असंतुष्ठ हैं। आवेदक को लोक सूचना अधिकारी द्वारा 1974 को पत्रावली जिला अभिलेखागार में जमा करने से संबंधित सूचना दी गई है जबकि आवेदक का कथन है कि पत्रावली वर्ष 1975 में राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा कार्यालय में प्रेषित की गई हैं। पत्रावली का केवल मुसन्ना ही वर्ष 1974 में जिला अभिलेखागार में जमा कराया गया था एवं वर्ष 1975 में पत्रावली के प्राप्त होने के पश्चात् कब उसे रिकॉर्ड रूम में भेजा गया एवं कब जाया किया गया इसके संबंध में उपलब्ध कराई गई सूचनाऐं अस्पष्ट हैं। ऐसी स्थिति में अधिनियम 2005 की भावना को देखते हुए अपीलार्थी द्वारा अपील के माध्यम से उठाये गये तथ्यों से हम संतुष्ठ है एवं अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत अपने आवेदन दिनांक 12.09.2022 द्वारा वांछित सूचनाऐं प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित पत्रावली को 30 दिवस में कार्यालय में तलाश किया जावे एवं तत्पश्चात् लोक सूचना अधिकारी के पूर्ण रूप से संतुष्ठ होने पर पत्रावली के संबंध में संतुष्ठीपूर्ण एवं पूख्ता प्रमाणों पर अधारित स्पष्ट प्रत्युत्तर/सूचना प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क प्रेषित करते हुए पालना से अवगत करावें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>14.12.2022</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-SD-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)